

पंचायती राज विभाग,निदेशालय देहरादून में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के क्रम में स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 30.5.2018 का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति:-

- 1-निदेशक,पंचायतीराज-अध्यक्ष।
- 2-संयुक्त निदेशक,पंचायतीराज-सदस्य।
- 3-संयुक्त निदेशक, जि०प०अनुश्रवण कोषक,पंचायतीराज-सदस्य।
- 4-अधीक्षण अभियन्ता यू०आई०आर०डी०ए०-सदस्य(मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित)

उत्तराखण्ड शासन,विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-12 /XXXVI(3) /2018/20(1)/2017,दिनांक 5 जनवरी,2018 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक,2017', शासनादेश संख्या-140/25.5.2018 के द्वारा उत्तराखण्ड, लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण,जिसमें अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक सीमित रखी गई है,के क्रम में स्थानान्तरण समिति द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी संवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मुख्यालय में उपलब्ध इस संवर्ग के कार्यरत अधिकारियों के सेवाविवरण संबंधी सूचना के आधार पर निम्नलिखित रूप में विचार किया गया :-

समिति द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-06 जिसमें वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार उल्लिखित है, के आधार पर विचार किया गया।

- (क)- सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण,
- (ख)- दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण,
- (ग)- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण,

- 1-दुर्गम में वर्तमान/ संभावित रिक्तियाँ- 03 (पौड़ी गढवाल, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़)
- 2-सुगम में वर्तमान में कोई रिक्तियाँ नही है/संभावित रिक्तियाँ जो हो सकती है- 03 (अल्मोड़ा,ऊधमसिंहनगर एवं हरिद्वार)

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण अधिनियम के सुसंगत प्राविधान/धाराओं का संज्ञान लेते हुए समिति के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी संवर्ग में तैनात प्रत्येक अधिकारियों के संबंध में निम्नवत विचारण करते हुए अपना मंतव्य व्यक्त किया गया:-

सर्वप्रथम स्थानान्तरण अधिनियम की धारा- 18 (2): पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती धारा-7 के खण्ड (घ)प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी। वर्तमान में मुख्यालय से दो कार्मिकों के पदोन्नति प्रस्ताव शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग,हरिद्वार को प्रेषित किए जाने की कार्रवाई की गई है। अधिनियम की धारा-18(2) के प्राविधानों के तहत पदोन्नति प्राप्त कार्मिक की प्रथम तैनाती दुर्गम क्षेत्र में की जानी अनिवार्य है।अतः जनपद उत्तरकाशी एवं जनपद पौड़ी गढवाल जहाँ रिक्तियाँ विद्यमान है,वहाँ इनकी तैनाती लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत की जा सकेगी।





(1)

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी पद पर तैनात अधिकारियों का राज्य गठन अर्थात् 9.11.2000 से वर्तमान पद एवं पूर्वगामी पद के सापेक्ष सेवाकाल इत्यादि के संदर्भ में विचार करते हुए निम्नानुसार मंतव्य दिया गया:-

सुगम जनपद में तैनात अधिकारियों पर विचारण:-

(1)- श्री विद्यासिंह सोमनाल, जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊधमसिंहनगर (सुगम क्षेत्र), गृह जनपद उत्तरकाशी, जन्म तिथि 9.5.72, जनपद ऊधमसिंहनगर में वर्तमान तैनाती की तिथि -24.9.2016 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद में सेवावधि 01 वर्ष, 08 माह, 11 दिन (सुगम क्षेत्र), मूल पद सहायक विकास अधिकारी (पं०) पद के रूप में सुगम क्षेत्र की सेवावधि -10 वर्ष, 13 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि -07 वर्ष 10 माह, 11 दिन की है। जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष सुगम क्षेत्र की कुल सेवावधि -01 वर्ष, 11 माह, 29 दिन एवं दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि -शून्य है। जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर वर्तमान तैनाती जनपद में 04 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं कर रहे हैं तथा अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम में आने के लिए कोई भी कार्मिक अर्ह नहीं है।

नीति आयोग द्वारा विभिन्न मानकों के अन्तर्गत पिछड़ेपन के आधार पर अभिलाषी जनपद के रूप में जनपद ऊधमसिंहनगर चयनित है, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में मूलभूत एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा सर्विस सेंटर की स्थापना तथा ग्रामीण संयोजन इत्यादि कार्य विभागीय प्राथमिकताओं में आते हैं। उपरोक्त आधार पर जनपद ऊधमसिंहनगर को वर्तमान में रिक्त नहीं रखा जा सकता है। अतः संबंधित कार्मिक के अनिवार्य स्थानान्तरण की संस्तुति नहीं की गई।

(2)- श्री जितेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी (सीधी भर्ती), जनपद अल्मोड़ा (सुगम क्षेत्र), गृह जनपद देहरादून, जन्म तिथि-10.3.76 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद अल्मोड़ा में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि-02वर्ष, 09 माह, 24 दिन एवं कुल सुगम क्षेत्र की सेवावधि-11वर्ष, 09माह, 08 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि - 03 माह, 04 दिन की है। श्री जितेन्द्र कुमार का विगत वर्षों में मार्ग दुर्घटना में हिप बोन में फ्रैक्चर के फलस्वरूप चिकित्सक के द्वारा वाहन से अधिक सफर एवं पर्वतीय क्षेत्र में पैदल कम चलने का परामर्श दिया गया है। तदनुसार समिति द्वारा श्री कुमार को राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। उक्त के अतिरिक्त, अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम में आने के लिए कोई भी कार्मिक अर्ह नहीं पाए जाने के कारण समिति द्वारा संबंधित कार्मिक के अनिवार्य स्थानान्तरण की संस्तुति नहीं की गई।

(3)- श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी (सीधी भर्ती), जनपद हरिद्वार (सुगम क्षेत्र), गृह जनपद महाराजगंज, जन्म तिथि-15.4.76 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि 01वर्ष, 08 माह, 09 दिन एवं कुल सुगम क्षेत्र की सेवावधि-11 वर्ष 07 माह, 09 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि- 03 माह, 19 दिन रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर वर्तमान तैनाती जनपद

(2)

में 04 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं कर रहे हैं तथा अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम में आने के लिए कोई भी कार्मिक अर्ह नहीं है।

नीति आयोग द्वारा विभिन्न मानकों के अन्तर्गत पिछड़ेपन के आधार पर अभिलाषी जनपद के रूप में जनपद हरिद्वार चयनित है, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में मूलभूत एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना तथा पंचायतों में क्षमता विकास विभागीय प्राथमिकताएं हैं। जनपद हरिद्वार नोफन कार्यक्रम एवं नेशनल इन्फारमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन0आई0आई0)के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा सर्विस सेंटर की स्थापना कर सेवाओं की अदायगी तथा ग्रामीण संयोजन इत्यादि कार्य विभागीय प्राथमिकताओं में आते हैं। उपरोक्त आधार पर जनपद हरिद्वार को वर्तमान में रिक्त नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार समिति द्वारा श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी का अनिवार्य स्थानान्तरण न करने की संस्तुति की गई।

(4)- श्री मनोज कुमार तिवारी, जिनका मूल संवर्ग जिला पंचायत राज अधिकारी है और निदेशालय में प्रभारी सहायक निदेशक के पद दिनांक 10.2.2015 से तैनात है तथा सुगम क्षेत्र में 3 वर्ष, 3 माह, 21 दिन का कार्यकाल है। वर्तमान कार्यस्थल में 4 वर्ष की सेवावधि न होने तथा सुगम क्षेत्र में कुल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई है। अतः अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नहीं आते हैं।

(5)- मो0 जफर खान, जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून(सुगम क्षेत्र), गृह जनपद पौड़ी गढ़वाल, जन्म तिथि-7.6.63 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद देहरादून में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि -01 वर्ष 08 माह, 09 दिन की है। मूल पद सहायक विकास अधिकारी (पं0) पद के रूप में सुगम क्षेत्र की सेवावधि -01 वर्ष, 08 माह, 26 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि -07 वर्ष, 09 माह, 10 दिन की है। जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष सुगम क्षेत्र की कुल सेवावधि -05 वर्ष, 09 माह, 27 दिन व दुर्गम क्षेत्र की सेवावधि - 02 वर्ष, 02 माह, 10 दिन है। मो0 जफर खान, जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून की वर्तमान कार्यस्थल में 4 वर्ष की सेवावधि न होने तथा कुल सुगम सेवावधि 10 वर्ष से अधिक न होने के कारण तथा संबंधित अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत विकलांगता से अधिक विकलांगता के संदर्भ में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नहीं आते हैं।

(6)- श्री अतुल प्रताप सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी(सीधी भर्ती), जनपद नैनीताल (सुगम क्षेत्र), गृह जनपद बस्ती, जन्म तिथि-30.6.73 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि 02 वर्ष, 09 माह, 28 दिन की सेवा के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में नहीं आते हैं।

(7)- श्री रणवीर सिंह असवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी (सुगम क्षेत्र), गृह जनपद पौड़ी गढ़वाल, जन्म तिथि-25.5.72 एवं स्थानान्तरण अधिनियमानुसार दिनांक 31.5.2018 तक जनपद टिहरी में जिला पंचायत राज अधिकारी पद के सापेक्ष वर्तमान सुगम क्षेत्र की सेवावधि -09 माह, 11 दिन की है। इस प्रकार समिति द्वारा वर्तमान कार्यस्थल में 4 वर्ष की सेवावधि न होने तथा दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता में कोई अर्ह न होने के कारण इनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया गया।

(3)

